



Neutral Citation No.-2026:AHC:8215

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-6383 वर्ष 2025

सचिन उपाध्याय आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: चंद्रजीत यादव, संजय पाठक

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री संजय पाठक, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार की सहायता से अपर महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2020 के केस अपराध संख्या-51 में धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307, 302, 386, 504, 506/34 भ०द०वि० और 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना-सस्नीगेट, ज़िला: अलीगढ़ के तहत दायर किया गया है।
4. आवेदक की ओर से यह तीसरी ज़मानत याचिका है। इस न्यायालय द्वारा पहली और दूसरी ज़मानत याचिकाओं को क्रमशः 2021 की आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-2111 और 2022 के 12777 में पारित दिनांक 9.9.2021 और 16.1.2023 के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया था।
5. एक नए आधार के रूप में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक 20.2.2020 से जेल में बंद है, इस तरह, वह लगभग छह साल से जेल में है और निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. ततस्य विपरीत, अपर महाधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत के लिए हकदार नहीं है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 5.1.2026 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, दस गवाहों से पूछताछ के बाद अभियोजन साक्ष्य पूरे हो गए हैं और मामला धारा 313 द०प्र०स० के तहत आरोपी के बयान के लिए तय किया गया है और तारीख 12.1.2026 यानी आज तय की गई है।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे आवेदक को ज़मानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 12, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.